## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 79 / 2021

अनवान : –

1. जयप्रकाश पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– सायलान

**बनाम्**

1. भागमल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. रामकुमार पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायलान**

**निर्णय** दिनांकः 4/4/23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खसरा न0 115 की 75 बीघा 18 बिस्वा, खसरा न0 593 / 336 की 24 बीघा 2 बिस्वा, कुल 100 बीघा एवं ख0न0 34 की 23 बीघा 3 बिस्वा, खसरा न0 293 की 47 बीघा 15 बिस्वा, खसरा न0 594 / 336 की 03 बीघा 16 बिस्वा कुल तादादी 74 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसके मोमनराम पुत्र बस्ती जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे। उक्त वाद भूमि में मोमनराम के फोतदगी के बाद उनके वारीसान हिरा, सोहन, गंगाजल, श्रीकिशन, हरदेवा, भूराराम, नेकीराम पि0 मोमनराम के नाम दर्ज हो गयी तथा मोमनराम के वारिस उक्त वाद भूमि के विधिक उतराधिकारी थे।

रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के ख0न0 115 की 75 बीघा 18 बिस्वा, खसरा न0 593 / 336 की 24 बीघा 2 बिस्वा [illegible] ख0न0 115 की 75 बीघा 18 बिस्वा खसरा न0 593 / 336 की 24 बीघा 2 बिस्वा [illegible] विभाग द्वारा हाल खसरा न0 299 की 15.10 बीघा, ख0न0 377 की 3[illegible] की 15 बीघा कुल 69 बीघा 15 बिस्वा भूमि में परिवर्तित एवं पैमुद हो चुकी है। [illegible]म, श्रीकृष्ण, भूराराम, [illegible], हिरा, सोहना, नेकीराम फोत हो चुके है जिसमें से श्री कृष्ण एवं नेकीराम लावल्द फोत हो चुके है तथा हीराराम उनके दो लड़के भागमल व तुलछा हुए जिसमें से तुलछाराम फोत हो चुके है जिसके वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:37:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

गैरसायल स0 2 ता 4 है तथा गंगाजल के वारिसान दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण स0 6 ता 7 है तथा हरदेवा के वारीसान दावा में दर्ज प्रतिवादीगण स0 8 ता 9 है। हरदेवा के एक लड़का सुरेश फोत हो चुका है जिसके वारीसान दावा में दर्ज प्रतिवादीगण स0 10 ता 13 एवं भुरू से दो लड़के लक्ष्मीनारायण एवं शंकरलाल हुए जिसमें शंकरलाल फोत हो चुका है जिसके वारीसान दावा में दर्ज प्रतिवादीगण स0 14 ता 17 है एवं सोहन के चार लड़के हुए जिसमें से एक श्योकरण मौजूद है तथा तीन लड़के भोपत एवं दीपाराम एवं हरिसिंह फोत हो चुके है एवं हरिसिंह के वारीसान दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स0 19 ता 20 है तथा दीपाराम के वारीसान दावा में दर्ज प्रतिवादी स0 21 है तथा भोपत के वारिसान दावा में दर्ज प्रतिवादीगण स0 22 ता 23 है एवं भोपत के दो लड़के लिलाधर एवं महावीर लावल्द फौत हो चुके है तथा उपरोक्त वारीसान है उनके वादग्रस्त भूमि के विधिक उत्तराधिकारी है।

उक्त वाद भूमि को हिरा पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी बडबिराना ने अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली तथा वादग्रस्त भूमि उनके 7 पुत्रगणों के नाम दर्ज थी परन्तु हिराराम पुत्र मोमन अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा वर्तमान में वादग्रस्त भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 276/254 के ख0न0 299/1 की 1.5980है0, ख0न0 299/3 की 2.06900है0, ख0न0 377/1 की 8.1070है0, ख0न0 377/3 की 1.0990है0, ख0न0 55/1 की 2.2560है0, ख0न0 55/3 की 0.0400है0 गै0मु0 आबादी, ख0न0 55/4 की 1.0430है0, कुल 16.2120है0 भूमि भागमल पुत्र हीराराम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 276/254 की कुल 16.2120है भूमि पूर्व में सायलान के दादा मोमन पुत्र बस्तीराम के नाम दर्ज थी गैरसायल स0 1 ता 4 के पिता व दादा ने उक्त वाद भूमि को अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली। वादग्रस्त भूमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतवादीगण स0 6 ता 23 का भी हक हिस्सा है तथा वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

उक्त वादग्रस्त भूमि गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम दर्ज रहने का अनुचित फायदा उठाकर रहन/बैय करने पर आमाद है जिससे सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की निषेधाज्ञा जारी फरमावें की रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 276/254 की कुल 16.2120है0 भूमि को गैरसायल स0 1 ता 4 रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्व रहें एवे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 4 की और से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वादग्रस्त भूमि के मोमनराम पुत्र बस्तीराम खातेदार काश्तकार नही थे बल्कि हीराराम पुत्र मोमनराम के सम्वत 2010 से पहले नोतोड़ कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि थी व हीराराम की फौतदगी के बाद उनके पुत्र भागमल व तुलछाराम के नाम दर्ज हुई तथा तुलछाराम के फौत होने के पश्चात उनके वारिसन गैरसायलान 2 ता 4 उत्तरदाता के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं हम उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा उक्त भूमि में स्व0 [illegible] पुत्र बस्तीराम तथा गंगाराम, भैरूराम, श्रीकिशन, सोहन, नेकीराम, हरदे[illegible] सायलान व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई हक व हि[illegible] प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा लाने का कोई अधिकार नही है। सायलान व दावा में द[illegible]तरतीबी वादग्रस्त भूमि के किसी श्रेणी के Tanent नही है तथा वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Maintainable नही है। वादग्रस्त भूमि स्व0 हीराराम पुत्र मोमनराम की नोतोड़ कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है तथा राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु हुआ उस समय हीराराम वादग्रस्त भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार था तथा नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (43) में टिनेंट की परिभाषा क़ो स्व0 हीराराम पुरी करते हुए उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुका था। अब सायलान ने तीसरी पीढ़ी में आकर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। इतने पुराने व लगातार चले राजस्व रिकार्ड में उतरदाता के अलावा अन्य किसी का भी हक व हिस्सा नही है। गैरसायलान न0 1 ता 4 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार होने के कारण किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। सायलान गैरसायलान 1 ता 4 उत्तरदाता को वादग्रस्त भूमि पर 70 सालों से गैरसायलान उत्तरदाता के पिता व दादा हीराराम व अब गैरसायलान न0 1 ता 4 को खातेदार काश्तकार एवं उनके कब्जा काश्त को स्वीकार करते आ रहे है जबकि किसी प्राईवेट व्यक्ति से कब्जा प्राप्त करने की मियाद 12 वर्ष होती है। कब्जा के अभाव व दरख्वास्त अन्दर मियाद नही होने के कारण काबिल खरिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि जमाबंदी सम्वत 2008 से आज तक व गिरदावरी व ढाल बाछ व रकम व लगान समस्त गैरसायलऩ उत्तरदाता के पिता व दादा हीराराम के नाम दर्ज है। सायलान क्लीन हैण्ड अदालत में नही आये है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पंहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? सायलान एवं गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रस्तुत जमाबंदी, खसरा गिरदावरी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गैरसायलान के पूर्वज हीरा वल्द मोमंन कौमा जाट साकिन बडबिराना के खुदकाश्त कब्जा काश्त की भूमि थी जो हीरा की फौतदगी के बाद उनके वारिसान (गैरसायलान) के आज तक निरन्तर साधिकार निर्विवाद रूप से कब्जे काश्त में बतौर खातेदार काश्तकार चली आ रही है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला सायलान को प्रमाणित करना होता है तथा उन्हें यह दिखाना/साबित करना आवश्यक है कि वे वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। इस प्रकरण में सायलान का यह कथन कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए उन्होंने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 88 के अन्तर्गत दावा भी कर रखा है परन्तु वर्तमान प्रकरण में स्थिति यह है कि गैरसायलान के पूर्वज हीरा की खुदकाश्त की भूमि थी पुरानी जमाबंदी, गिरादावरी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में उक्त भूमि हीरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई बाद में जरिये इंतकाल स0 629 उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तभी से लेकर आज तक गैरसायलान बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा लगान अदा करते आ रहे है एवं भूप्रबन्ध विभाग के पर्चा लगाान से भी स्पष्ट है कि सम्वत 2029 मे हीराराम पुत्र मोमनराम द्वारा उक्त वाद भूमि का लगान अदा किया गया है। अधिकारों की घोषणा मूल दावे के अन्तिम निर्णय में तय होना है। उपरोक्त विवेचन स्वरूप गैरसायलान बतौर खातेदार काश्तकार होने से उनके पक्ष में मामला मजबूत है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन गैरसायलान के पक्ष में बनता है तथा निषेधाज्ञा जारी होने से अपूर्णीय क्षति भी गैरसायलान को ही होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

साबित नही होते है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए गैरसायलान जो की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 4/4/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:04 IST
Reason: SelfAttested